न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/77/2024 रजू दिनांक: 16.05.2024 रजि0 न0 2024/127

अपीलार्थी:–

श्री कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री रामसिंह सैनी, निवासी खेरली वार्ड नं0 11, कजोड़ी का मौहल्ला, तहसील कठूमर,–321606 जिला अलवर, (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 03.06.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.05.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/842 दिनांक 23.05.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रा0पत्र दिनांक 11.05.2024 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0 सरकार के पत्र कमांक मु.मं.–उस(एमके)/कले.अल./अल/24/13164 दिनांक 15.02.2024 के अनुसरण में अतिकमण हटवाने के संबंध में की गई कार्यवाही बाबत सूचना/ प्रमाणित प्रति चाही गई थी। प्रकरण में वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण, मूल RTI आवेदन कार्यालय पत्र सं0 लो.सू.अ./अन्तरण/2024/412–13 दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत विहित समयावधि में ही अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेरली, अलवर को अन्तरित किया जा चुका है। अपिलार्थी अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन, नगरपालिका खेरली (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें। इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना इस लोक सूचना अधि0 कार्या0 से संबंधित नहीं होने के कारण, मूल RTI आवेदन के संबंध में विनिश्चय कर कार्यालय पत्र सं0 लो.सू.अ./अन्तरण/2024/412–13 दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से सूचना का अधि0 अधि0 2005 की धारा 6(3) के तहत विहित समयावधि में ही अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेरली, अलवर को अन्तरित किया जा चुका है। अपिलार्थी अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन, नगरपालिका खेरली (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें। सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)